सं. 16034/16/2023-राजभाषा(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
*****

एनडीसीसी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 09 .09.2026

सेवा में,

श्री गौतम गणेश एम एच
[redacted]
Sh. Goutham Ganesh M H
[redacted]

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन के संबंध में।
Application under the Right to Information Act, 2005-reg.

महोदय/महोदया
Sir/Madam,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 19.08.2026 के आरटीआई आवेदन DPOOL/R/X/26/00003 का संदर्भ ग्रहण करें जो कर्मचारी चयन आयोग, बेंगलुरु से दिनांक 19.08.2026 को संदर्भ संख्या SSCKK/R/E/26/00182 के तहत बिंदु संख्या 1, 3, 4 और 5 के संबंध में प्राप्त हुआ है।/ Please refer to your RTI application No. DPOOL/R/X/26/00003 dated 19.08.2026 on the subject cited above, which was received from the Staff Selection Commission, Bengaluru, on 19.08.2026 under reference No. SSCKK/R/E/26/00182 in respect of Points Nos. 1, 3, 4 and 5.

2. आरटीआई का बिंदु-वार उत्तर निम्नानुसार है :
The Point-wise reply of the RTI is as under :

क्रम संख्या S/No	आरटीआई का बिंदु संख्या Point Number of RTI	उत्तर Reply
1.	Point No. 1	संबंधित दस्तावेज संलग्न है। Relevant document is enclosed.
2.	Point No. 3	संबंधित दस्तावेज विभाग में उपलब्ध नहीं हैं। The relevant documents are not available in the department.
3.	Point No. 4	संबंधित दस्तावेज विभाग में उपलब्ध नहीं हैं। The relevant documents are not available in the department.
4.	Point No. 5	राजभाषा नियम, 1976 के उपनियम 12 के अनुसार राजभाषा नीति का अनुपालन संबंधित कार्यालय प्रमुख सुनिश्चित कराते हैं। As per Sub-rule 12 of the Official Language Rules, 1976, the Head of the concerned office ensures compliance with the Official Language Policy.

3. यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल, बी विंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को अपील कर सकते हैं।
In case you are not satisfied with the above reply, you may file an appeal within 30 days of receipt of this letter with the Appellate Authority, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, NDCC- II Building, Forth Floor, B Wing, Jai Singh Road, New Delhi – 110001

भवदीय,

रघुवीर शर्मा

(रघुवीर शर्मा/Raghubir Sharma)
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/CPIO
एवं उप निदेशक (नीति)/and Deputy Director (Policy)
दूरभाष/Telephone: 011-23438251

ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಎಂ ಹೆಚ್
Goutham Ganesh M H

अ. शा. पत्र सं.14013/04/2022-रा०भा०(नाात)

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

दिनांक 05.09.2022

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न)।

2. राजभाषा विभाग द्वारा हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि से संबंधित त्रि-भाषा के दिशा-निर्देश पुनः परिचालित किए गए हैं और सभी मंत्रालयों/विभागों से उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को अवगत कराने हेतु भी अनुरोध किया गया था लेकिन वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

3. इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 05.04.2022 को राज्य सभा में शून्य काल के दौरान माननीय सांसद श्री सुखेन्दु शेखर राय द्वारा उठाए गए मुद्दे और माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा दिये गए आश्वासन के आलोक में जारी किया गया था।

4. आपके मंत्रालय/विभाग से उक्त सूचना अभी प्रतीक्षित है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कृपया राजभाषा विभाग को यह सूचना हर हाल में 09.09.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समयनुसार आश्वासन की पूर्ति की जा सके।

शुभेच्छु

मीनाक्षी जौली

(डॉ० मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) ।